दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 01 फरवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 125

महत्वपूर्ण एवं खास

एयर इंडिया पेशाब कांड के आरोपी शंकर मिश्रा को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली (आरएनएस)। एअर इंडिया पेशाब कांड के आरोपी शंकट मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर शंकर मिश्रा को जमानत दे दी है। इसके पहले कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एडिशनल सेशन जज हरज्योत सिंह भल्ला ने मंगलवार को फैसला सुनाया। शंकर मिश्रा पर आरोप है कि न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में उसने एक महिला पर शराब के नशे में पेशाब किया था। इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस की तरफ से कहा गया था कि आरोपी की इस करतूत से भारत की अंतरराष्ट्रीय तौर पर बेइज्जती हुई है।

मोरबी पुल हादसा : ओरेवा ग्रुप के एमडी ने किया कोर्ट में सरेंडर

मोरबी (आरएनएस)। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के मामले में आरोपी ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने आज में सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने जयसुख पटेल के खिलाफ वॉरंट जारी किया था। इससे पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए जयसुख पटेल ने मोरबी की सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 2022 के मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ढहने के मामले में 1,262 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई। इस घटना ने 134 लोगों की जान ले ली थी। चार्जशीट में आरोपी के तौर पर ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल का नाम शामिल है। पिछले साल 30 अक्टूबर को मोरबी में मच्छु नदी पर बना पुल गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गुजरात पुलिस नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें ओरेवा ग्रुप के चार कर्मचारी शामिल थे। इनमें कंपनी के दो मैनेजर हैं और दो टिकट क्लर्क हैं। जयसुख पटेल ने बीती 20 जनवरी को मोरबी की सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से जीवन अस्त-व्यस्त, हिमस्खलन की दी चेतावनी

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जेकेडीएमए) ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न इलाकों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की और लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। वहीं कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। जिस पर अगले 24 घंटों में डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ जिलों में समुद्र तल से 2,500 मीटर ऊपर उच्च खतरे का स्तर हिमस्खलन होने की संभावना है। उन्होंने चेतावनी दी, अगले 24 घंटों में बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगाम और रामबन जिलों में 1,500 से 2,500 मीटर से ऊपर मध्यम खतरे के स्तर का हिमस्खलन होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में अनंतनाग जिले में 1,500 मीटर से ऊपर हिमस्खलन होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचने को कहा गया है।

विशाखापत्तनम होगी आंध्रप्रदेश की नई राजधानी, सीएम जगन रेड्डी ने किया ऐलान

विशाखापत्तनम (आरएनएस)। आंध्र प्रदेश की राजधानी में बदलाव हो गया है। अब विशाखापत्तनम को इस दक्षिण भारतीय राज्य की नई राजधानी के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को यह ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने नई राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की भी घोषणा की है। सीएम रेड्डी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट वीडियो के अनुसार, उन्होंने कहा कि मैं आपको विशाखापत्तनम में आमंत्रित करता हूं, जो आने वाले दिनों में हमारी राजधानी बनने जा रही है। मैं भी आने वाले कुछ महीनों में विशाखापत्तनम में शिफ्ट हो रहा हूं। हम 3 और 4 मार्च को यह शिखर सम्मेलन विशाखापत्तनम में आयोजित करने जा रहे हैं।'

आर्थिक समीक्षा 2022-23 : सरकार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध : सीतारमण

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 'आर्थिक समीक्षा 2022-23' पेश करते हुए बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसे संयुक्त राष्ट्र एसडीजी (एसडीजी 4) के अंतर्गत लक्ष्य 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, का उद्देश्य 2030 तक 'समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है और सभी के लिए आजीवन सीखते रहने के अवसरों को बढ़ावा देना' है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) को 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसका लक्ष्य देश की कई बढ़ती विकास संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाना था। यह नीति शिक्षा ढांचे के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार के लिए बनायी गई है। वित्त वर्ष 22 में सकल नामांकन अनुपात (जीआईआर) में सुधार और लिंग समानता में सुधार देखा गया। 6 से 10 वर्ष की आयु के लडक़े-लड़कियों की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कक्षा 1 से 5 के प्राथमिक नामांकन में वित्त वर्ष 22 में सकल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ। इस सुधार ने वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 19 के बीच गिरावट की प्रवृत्ति को उलट दिया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (11-13 वर्ष की आयु में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में छठी से आठवीं कक्षा में नामांकन), जो वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 19 के बीच स्थिर था, वित्त वर्ष 22 में सुधार हुआ। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर संबंधित आयु समूहों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात लडक़ों की तुलना में बेहतर है। वित्त वर्ष 22 में कुल मिलाकर 26.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नामांकित हुए और 19.4 लाख अतिरिक्त बच्चों को प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नामांकित किया गया। वित्त वर्ष 22 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) का कुल नामांकन 22.7 लाख है, जबकि वित्त वर्ष 21 में यह 21.9 लाख था, जो 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पूर्व-प्राथमिक स्तर को छोडक़र सभी स्तरों अर्थात् प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, नामांकन 1.1 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 22 में 1.0 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान पूर्व-प्राथमिक स्तर पर लगभग 1.0 करोड़, प्राथमिक पर 12.2 , उच्च प्राथमिक पर 6.7 करोड़, माध्यमिक पर 3.9 करोड़ और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2.9 करोड़ बच्चों का नामांकन हुआ। हाल के वर्षों में सभी स्तरों पर बच्चों के स्कूल छोडऩे की दर में लगातार गिरावट देखी गई। लड़कियों और लडक़ों दोनों के मामले में गिरावट देखी गई है। समग्र शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, स्कूल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार, आवासीय छात्रावास भवन, शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जैसी योजनाएं स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों की स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।शिक्षकों की उपलब्धता, जिसे छात्र-शिक्षक अनुपात द्वारा मापा जाता है, संकेतक जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से विलोम संबंध रखता है, में वित्त वर्ष 13 से वित्त वर्ष 22 की अवधि में लगातार सभी स्तरो: प्राथमिक स्तर पर 34.0 से 26.2, उच्च प्राथमिक में 23.0 से 19.6, माध्यमिक में 30.0 से 17.6 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 39.0 से 27.1, तक की कमी हुई जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। स्कूलों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता और स्कूलों में सुविधाओं के सुधार से नामांकन में सुधार होने और स्कूल छोडऩे (ड्रॉपआउट) की दरों में कम किए जाने की आशा है।वित्त वर्ष 23 के दौरान स्कूली शिक्षा के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं निम्नलिखित पैरा में प्रस्तुत की गई हैं। सरकार ने 7 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री-स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (उभरते भारत के लिए विद्यालय) नामक एक केन्द्र प्रयोजित योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 27 तक 14,500 से अधिक पीएम स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। यह स्कूल आधुनिक अवसंरचना एवं सुविधाओं से सुसज्जित होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का निष्पादन करेंगे और समय के साथ-साथ आस-पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हुए अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेंगे। इस योजना से 20 लाख से अधिक छात्रों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। मूलभूत स्तर की शिक्षा के लिए राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढांचा (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क) को नए 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर के रूप में लांच किया गया है, जो 3 से 8 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत करता है। 49 केन्द्रीय विद्यालयों में 3+, 4+, और 5+, आयु वर्ग के छात्रों के लिए संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर क्षमताओं को विकसित करने और प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान देने के साथ प्रोजेक्ट बालवाटिका, यानी 'तैयारी कक्षा' अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी।

देश में बेटियों की संख्या में तीन अंक की गिरावट, बीत वर्ष में एक हजार पर 934 बेटियों का जन्म

भोपाल (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जन्म के समय के लिंगानुपात की बीते वर्ष 2020-21 और 2021-22 की हेल्थ मैनेजेंट इन्फारमेशन सिस्टम (एचएमआइएस) रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसके अनुसार देश में बेटों की तुलना में बेटियों की औसत संख्या (जन्म के समय लिंगानुपात) वर्ष 2013-14 से लगातार बढऩे के बाद वर्ष 2020-21 में कम हुआ है। देश में वर्ष 2020-21 में एक हजार बेटों के मुकाबले 937 बेटियों का जन्म हुआ था, जबकि यह संख्या वर्ष 2021-22 में 934 रही। आठ बड़े राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशा में भी इस लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। इसमें मप्र, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और बंगाल शामिल हैं। बिहार और चंडीगढ़ में लिंगानुपात 900 से नीचे पहुंच गया है। केरल में यह 968, छत्तीसगढ़ में 957, राजस्थान में 946 है। जबकि मप्र में जन्म के समय का लिंगानुपात (एसआरबी) 940 से घटकर 929 रह गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 के पहले जब भ्रूण लिंग परीक्षण की तकनीक नहीं थी तो कुल जन्म में 48.8 प्रतिश बेटियां होती थीं। इसमें ही प्राकृतिक लिंगानुपात माना जाता है। इसके अनुसार एक हजार बेटों पर 970 बेटियों का जन्म होना चाहिए। भ्रूण लिंग परीक्षण की तनकीक आने के बाद इसमें गिरावट आने लगी थी। कई राज्यों में यह आंकड़ा 900 से नीचे पहुंच गया था। अब भ्रूण लिंग परीक्षण पर सख्ती शुरु हुई तो इसमें सुधार आया।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया समेत 10 आरोपियों के खिलाफ 5503 पन्नों का पेश किया चालान

रायपुर (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आज यानी सोमवार को खनिज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एसएस नाग, खनिज अधिकारी संदीप कुमार नायक, दीपेश टांक, और राजेश चौधरी को कोर्ट में पेश किया। इन आरोपियों को तीन दिन की रिमांड पर जेल भेजा गया था, जिसकी अवधी समाप्त होने पर आज विशेष सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए तीनो आरोपियों को 14 दिन न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। एसएस नाग, संदीप कुमार नायक, दीपेश टांक, और राजेश चौधरी को 13 फरवरी जेल में रहना होगा। वहीं अदालत में ईडी ने सौम्या चौरसिया समेत सभी 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया।

ईडी ने चार आरोपियों के रिमांड खत्म होने पर आज विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई में डिप्टी डायरेक्टर एसएस नाग, संदीप कुमार नायक, दीपेश टांक, और राजेश चौधरी को 14 दिन यानी 13 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। वहीं जेल में बंद सौम्या चौरसिया समेत 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चालान पेश किया। सौम्या चौरसिया, निखिल चंद्राकर, एस एस नाग, संदीप कुमार नायक, दीपेश टांक और राजेश चौधरी समेत कैलाश तिवारी, रजनीकांत तिवारी और अनुराग चौरसिया समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। सभी आरोपियों के खिलाफ करीब 178 पन्नो की परिवाद और 5503 पन्नो में चालान प्रस्तुत किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ करीब 17 करोड़ रुपयों के लेनदेन का चालान पेश किया गया है। चालान में कैलाश तिवारी, रजनीकांत तिवारी और अनुराग चौरसिया को भी नया अभियुक्त बनाया गया है। ईडी ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत लिफाफा बंद आवेदन पेश किया। जिसमे जांच के दौरान आगामी दिनों में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और चालान पेश करने की अनुमति मांगी, कोर्ट ने अनुमति दी। कोर्ट ने चालान पर अगली सुनवाई 14 फरवरी तय की है।

गहरी खाई में सुखोई-30 का एक इंजन मिला, निकालने की कोशिश जारी

❑ सुखाई और मिराज के क्रेस होने का मामला

मुरैना (आरएनएस)। ग्वालियर से उड़ान भरकर हवा में टकराने के बाद मुरैना के पहाडग़ढ़ जंगल में ध्वस्त हुये सुखोई-30 का एक इंजन गहरी खाई में मिला है। वायुसेना जांच दल द्वारा इसे निकालने की बीते 24 घंटों से कोशिश की जा रही है। क्रेस हुए सुखाई और मिराज का मलवा अभी भी मौके पर पड़ा हुआ है। पहाडग़ढ़ में विमान के टुकड़े करीब दो किलोमीटर तक फैले हुये हैं। जिन्हें वायुसेना का 20 सदस्यीय जांच दल एकत्रित करने का कार्य कर रहा है। सुखोई एक इंजन को निकालने के लिये वायुसेना का विशेष दल पहाडग़ढ़ पहुंच गया है। जिला प्रशासन द्वारा भी इस दल का सहयोग किया जा रहा है।

पहाडग़ढ़ मानपुर के जंगल में पिछले चार दिन से एयर फोर्स के जवान मिराज के समूचे भाग को एकत्रित नही कर पाये है क्यों कि खोज में उन्हें काफी पाट्र्स जंगल में दूर दूर तक फैले मिले हैं। वायुसेना के जांच दल को जंगल की एक गहरी खाई में बड़ा हिस्सा दिखाई दिया। इसे सुखोई-30 का एक इंजन बताया जा रहा है। जिसे विगत दिवस निकालने की कोशिश सफल नहीं हो पाई। आज सुबह ग्वालियर एयरवेश से एक बड़ा दल पहाडग़ढ़ पहुंच गया है। तकनीकी व मशीनों के सहारे इस इंजन को निकालने की कोशिश की जा रही है। देर शाम तक इस इंजन को निकालने की संभावना है। विदित हो कि 28 जनवरी की सुबह ग्वालियर एयरवेश से मिराज 2000 तथा सुखोई-30 नियमित अभ्यास उड़ान पर थे। अज्ञात तकनीकी खामियों के कारण पहाडग़ढ़ जजीपुरा के ऊपर यह दोनों विमान आपस में टकरा गये। जिससे सुखोई में आग लग गई और इसका एक बड़ा हिस्सा पहाडग़ढ़ के जंगलों में गिर गया वहीं विमान का अधिकांश भाग राजस्थान भरतपुर के जंगल में जा गिरा। जबकि मिराज का सम्पूर्ण हिस्सा पहाडग़ढ़ के जंगल में ही गिरा। विगत दिवस मिराज के मलवे से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक गहरी खाई में विमान का बडा हिस्सा दिखाई दिया। वायुसेना जांच दल ने इसे देखा अब इसे निकालने की मशक्कत की जा रही है। यह सुखोई-30 का एक इंजन बताया जा रहा है। सुखोई-30 में दो इंजन व दो पायलेट रहते हैं। दुर्घटना के बाद इसके दोनों पायलेट कॉकपिट से इजेक्ट होकर पैराशूट से जमीन पर आ गये थे।

चारों तरफ सुरक्षा का घेरा - जिस जगह विमान गिरा था उसे हिस्से को चारों तरफ से वायुसेना की टीम ने चारों तरफ से घेर लिया है। ग्रामीण देखने के लिए पहुंच रहे है, लेकिन उन्हें आस-पास नहीं जाने दिया जा रहा है। सभी पर पाबंदी लगा दी गई है। वायुसेना के जांच दल ने अस्थाई शिविर लगा दिये हैं। अधिकारियों द्वारा विमानों के पाट्र्स को एकत्रित किया जा रहा है।

बेंगलुरू की फोरेंसिक लैब में होगी जांच - पहाडग़ढ़ व भरतपुर से ट्रकों व हेलीकॉप्टर से वायुसेना स्टेशन पर एकत्र किए गए विमानों के ब्लैक बॉक्स व कॉकपिट के पाट्र्स की बेंगलुरू स्थित फोरेंसिक लैब में कराई जाएगी। इसके बाद ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए विमान कंपनियों को भेजा जा सकता है। प्रारंभिक पड़ताल के बाद वायुसेना के दिल्ली मुख्यालय पर वायुसेना स्टेशन, टैक्डी व कमान अधिकारियों की बैठक संभवत: अगले सप्ताह की जाएगी।

आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा

अहमदाबाद (आरएनएस)। गांधीनगर की एक अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू बाबा आसाराम को 2013 में एक पूर्व महिला शिष्य द्वारा दायर बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वर्तमान में जोधपुर जेल में बंद 81 वर्षीय आसाराम 2013 में राजस्थान में अपने आश्रम में एक नाबालिग लडक़ी से बलात्कार के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सत्र अदालत के न्यायाधीश डीके सोनी ने सजा पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच सूरत की रहने वाली महिला से कई बार बलात्कार किया, जब वह शहर के बाहरी इलाके मोटेरा में स्थित उसके आश्रम में रहती थी। अदालत ने सोमवार को इस मामले में आसाराम को दोषी ठहराया था। अदालत ने अभियोजन के मामले को स्वीकार करते हुए आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धाराओं के अलावा कई अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।

ई-श्रम पोर्टल पर 28.5 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत : निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 को संसद में 'आर्थिक समीक्षा 2022-23' पेश करते हुए बताया कि जहां महामारी ने श्रम बाजारों और रोजगार अनुपातों दोनों को प्रभावित किया है, अब महामारी के बाद त्वरित प्रतिक्रिया के साथ-साथ पिछले कुछ वर्षों से सतत प्रयासों और भारत में आरंभ किए गए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के साथ, श्रम बाजार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, सुधर कर कोविड के पूर्व के स्तर से आगे आ चुके हैं, जैसा कि आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष रोजगार डाटा में देखा गया है।2019 और 2020 में 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों को समाहित किया गया, युक्तिसंगत बनाया गया तथा चार श्रम संहिताओं नामत: मजदूरी पर संहिता, 2019 (अगस्त 2019) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता 2020 तथा पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी स्थिति संहिता 2020 (सितम्बर 2020) में सरलीकृत किया गया।समीक्षा के अनुसार, संहिताओं के तहत बनाये गये नियमों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा उपयुक्त स्तर पर सुपुर्द किया गया। 13 दिसम्बर, 2022 को 31 राज्यों ने मजदूरी पर संहिता, 28 राज्यों ने औद्योगिक संबंध संहिता के तहत, 28 राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा पर संहिता के तहत तथा 26 राज्यों ने पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी स्थिति संहिता के तहत प्रारूप नियमों का पूर्व प्रकाशन भी किया है।श्रम बाजार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, सुधर कर कोविड के पूर्व के स्तर से आगे आ चुके हैं और बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2020-21 में 4.2 प्रतिशत पर आ चुकी है।सावधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) में सामान्य स्थिति के अनुसार पीएलएफएस 2020-21 (जुलाई-जून) में श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) में पीएलएफएस 2019-20 तथा 2018-19 की तुलना में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं और पुरूषों दोनों में सुधार आया है।2018-19 के 55.6 प्रतिशत की तुलना में पुरूषों के लिए श्रम बल सहभागिता दर 2020-21 में 57.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है। 2018-19 के 18.6 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के लिए श्रम बल सहभागिता दर 2020-21 में 25.1 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

2018-19 के 19.7 प्रतिशत से 2020-21 के 27.7 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण महिला श्रम बल सहभागिता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।रोजगार में व्यापक स्थिति के अनुसार, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रूझान से प्रेरित, 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में स्वरोजगार वाले लोगों का हिस्सा बढ़ा और नियमित मजदूरी/वेतनभोगी श्रमिकों के हिस्से में गिरावट आयी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, कार्य के उद्योग पर आधारित, कृषि से जुड़े श्रमिकों का हिस्सा 2019-20 के 45.6 प्रतिशत से मामूली रूप से बढक़र 2020-21 में 46.5 प्रतिशत पर पहुंच गया, इसी अवधि के दौरान विनिर्माण का हिस्सा 11.2 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से गिरकर 10.9 प्रतिशत पर आ गया, निर्माण का हिस्सा 11.6 प्रतिशत से बढक़र 12.1 प्रतिशत हो गया तथा व्यापार, होटल और रेस्तरां का हिस्सा 13.2 से गिरकर 12.2 प्रतिशत हो गया।

श्रम बाजार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, सुधर कर कोविड के पूर्व के स्तर से आगे आ चुके हैं और बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2020-21 में 4.2 प्रतिशत पर आ चुकी है।सावधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) में सामान्य स्थिति के अनुसार पीएलएफएस 2020-21 (जुलाई-जून) में श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) में पीएलएफएस 2019-20 तथा 2018-19 की तुलना में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं और पुरूषों दोनों में सुधार आया है।2018-19 के 55.6 प्रतिशत की तुलना में पुरूषों के लिए श्रम बल सहभागिता दर 2020-21 में 57.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है। 2018-19 के 18.6 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के लिए श्रम बल सहभागिता दर 2020-21 में 25.1 प्रतिशत पर पहुंच गई है। 2018-19 के 19.7 प्रतिशत से 2020-21 के 27.7 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण महिला श्रम बल सहभागिता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।रोजगार में व्यापक स्थिति के अनुसार, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रूझान से प्रेरित, 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में स्वरोजगार वाले लोगों का हिस्सा बढ़ा और नियमित मजदूरी/वेतनभोगी श्रमिकों के हिस्से में गिरावट आयी।